उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-18/2019/1310/22-4-2018-48(67)/96

लखनऊ : दिनांक: 07 मार्च, 2019

अधिसूचना

कारागार अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1894) की धारा 3 के खण्ड(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि नवनिर्मित जिला कारागार, अम्बेडकरनगर की प्रसीमा, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, का स्थायी रूप से उपयोग बंदियों को निरूद्ध करने और उनका सुधार करने के लिए कारागार के रूप में किया जायेगा।

अनुसूची

जिला कारागार, अम्बेडकरनगर की सीमाएं

दिशा	गाटा संख्या	ग्राम का नाम	विवरण
पूरब	गाटा संख्या-648	लोरपुर ताजन	राम विचार आदि की कृषि भूमि
पश्चिम	गाटा संख्या-1756	लोरपुर ताजन	राम नरेश आदि की कृषि भूमि
उत्तर	गाटा संख्या-2066	लोरपुर ताजन	राम राज आदि की कृषि भूमि
दक्षिण	गाटा संख्या-570	मुबारकपुर मरेला	वीपत आदि की कृषि भूमि

अरविन्द कुमार

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Karagar Prashasan Evam Sudhar Anubhag-4

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 18 /2019/1310/22-4-2018-48(67)/96, Dated-07 March, 2019

NOTIFICATION
No-18/2019/1310/22-4-2018-48(67)/96
Lucknow, Dated- 07 March, 2019

In exercise of the powers under clause (1) of section-3 of the Prisons Act. 1894(Act.no-9 of 1894), the Governor is pleased to order that the precinct of the New Constructed District Prison Ambedkarnagar, the boundaries of which are specified in the Schedule below shall be used permanently as Prison for the detention and reformation of prisoners.

SCHEDULE

Boundaries of the District Prison, Ambedkarnagar

Direction	Gata Number	Name of Village	Details
East	Gata No-648	Lorpur Tajan	Agriculture Land of Ram Vichar Etc.
West	Gata No-1756	Lorpur Tajan	Agriculture Land of Ram Naresh Etc.
North	Gata No- 2066	Lorpur Tajan	Agriculture Land of Ram Raj Etc.
South	Gata No- 570	Mubarakpur Marela	Agriculture Land of Vipat Etc.

Arvind Kumar
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।